

कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्वरेट वाराणसी

प्रेस नोट

<u> दिनांक-05.04.2025</u>

विषयः- "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना चौबेपुर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 10,000/- रु0 अर्थदण्ड।

थाना चौबेपुर, किमश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-120/2010 धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त राजेश यादव पुत्र पारसनाथ यादव निवासी सरैया विशुनपुरा थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक चौबेपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक-04.04.2025 को माननीय न्यायालय ASJ-I जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त राजेश यादव उपरोक्त को अंतर्गत धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में जेल में बितायी गयी अविध व 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सोशल मीडिया सेल पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, कमिश्वरेट वाराणसी।